दैनिक भास्कर
बिलासपुर 19-05-2026

निर्देश • उमर खालिद से जुड़े फैसले पर भी आपत्ति

यूएपीए में भी बेल नियम, जेल अपवाद होता है: सुप्रीम कोर्ट

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (यूएपीए) जैसे कानून में भी जमानत (बेल) नियम, जेल अपवाद है। कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत से जुड़े अपने पुराने फैसले पर भी गंभीर सवाल उठाए।

जस्टिस बीवी नागरत्ना व जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सोमवार को कहा, गुलफिशा फातिमा बनाम स्टेट फैसले को लेकर उसे 'गंभीर आपत्तियां' हैं। उस फैसले में केए नजीब मामले में तय सिद्धांतों को कमजोर किया गया, जबकि नजीब फैसला बाध्यकारी कानून है। बेंच ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए की। अंद्राबी जून 2020 से नार्को-टेरर मामले में जेल में है।

कोर्ट ने कहा, नजीब फैसले को ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंच कमजोर नहीं कर सकती। न ही छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसले कमजोर या दरकिनार कर सकती है। अगर असहमति हो तो केस बड़ी बेंच को भेजना चाहिए।

कोर्ट ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2019 से 2023 के बीच यूएपीए मामलों में दोषसिद्धि दर 1.5% से 4% के बीच रही। केवल मुकदमे के लंबा चलने के आधार पर अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।